संख्या-02/2026/001-72/2026/1623258/12-2099/51/2022

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 24 जनवरी, 2026

विषय:-चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-102-खाद्यान्नो की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषको के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या:अभि.-15-102/2744/लेखा-निजी नलकूप/अनुदान/2025-26, दिनांक 09 जनवरी, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृष कर्म-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषको के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रूपये 240000.00 लाख के सापेक्ष चतुर्थ त्रैमास (माह जनवरी, 2026 से मार्च, 2026) हेतु धनराशि रूपये 60000.00 लाख (रूपए छः अरब मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।
2. स्वीकृत धनराशि का व्यय संगत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।
3. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जाएगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जाएगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जाएगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि को कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा एकमुश्त आहरण न करते हुए आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को उपलब्ध करायी जायेगी। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जाएगी।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय करते हुए व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा तथा अनुदानित धनराशि से लाभान्वित कृषकों का विवरण विभागीय वेब-साईट पर अपलोड किया जाएगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6. निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रखने का दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश का होगा।

7. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निर्वतन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 6,00,00,00,000 (रुपये छः अरब मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 011 **लेखा शीर्षक** 2401001020500 कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिये कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उ.प्र. विद्युत निगम को अनुदान **मानक मद** 27-सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-02/2026/001-72(1)/2026/1623258/12-2099/51/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन,
4. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लि0, लखनऊ,
5. वित्त नियंत्रक, कृषि विभाग, लखनऊ,
6. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ,
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन,
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।